न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 2020/89

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में एग्रीमेंट करने के बाद रजिस्ट्री करवाई है बिना कब्जे के है और ऐसी कोई अनियमितता नहीं है कि दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं01 अधिवक्ता ने निवेदन कि दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है क्योंकि वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं वाद हैतुक भी प्राप्त नही है। एग्रीमेंट की पालना यह न्यायालय नहीं करवा सकता है। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। दावा/वाद वादी द्वारा रजिस्ट्री निरस्तीकरण व इकरारनामा के नियमन हेतु लगाया गया है। अतः इसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।